रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 12, 2012/पौष 22, 1933
No. 53] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 12, 2012/PAUSA 22, 1933

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2012

का.आ. 62(अ).—जबकि किसी व्यक्तियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण के लिए, आतंकवादी कृत्यों और उनसे जुड़े मामलों से निपटने हेतु विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) अधिनियमित किया गया है,

2. और जबकि उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ड) में, आतंकवादी सगठन को उक्त अनुसूची मे सूचीबद्ध संगठन अथवा इस प्रकार सूचीबद्ध किसी संगठन के रूप में उसी नाम से सक्रिय संगठनों के रूप में परिभाषित किया गया;

3. और जबकि उक्त अधिनियम की अनुसूची में आतंकवादी संगठनों की सूची विनिर्दिष्ट की गई है;

4. और जबकि "गारो नेशनल लिबरेशन फ्रंट" गारो हिल्स का एक उग्रवादी सगठन जो वर्ष 2010 के शुरू में अस्तित्व में आया तथा वह गारो हिल्स जिला में संगठन स्तर पर तथा शस्त्रों एवं संवर्ग के स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करता जा रहा है; और जबकि एक पृथक गारो राज्य के कथित उद्देश्य के लिए संगठन, अन्य हिंसक गतिविधिया जैसे सरकारी कर्मचारियों पर हमला, सरकारी भवनों में ग्रनेड फेंकना, हिंसा से जबरन फिरौती वसूलना इत्यादि के साथ निर्दोष नागरिकों तथा सुरक्षा बलों की हत्या वाले आतंकवादी कृत्य कर रहा है;

5. और जबकि केन्द्रीय सरकार मानती है कि "गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी" आंतकवाद में संलिप्त है;

6. अब अत: विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी तथा इसके सभी घटको और प्रमुख संगठनो को उक्त अधिनियम की अनुसूची मे आतंकवादी संगठन के रूप में शामिल करने के बारे में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है और उक्त प्रयोजन हेतु निम्नलिखित सशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिनियम की अनुसूची मे क्रम संख्या 35 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टिया अंत:स्थापित की जाएंगी अर्थात् —

"36. गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी (जी एन एल ए), इसके सभी घटक और प्रमुख संगठन।"

[फा. सं. 11011/124/2011-एन ई-5]

कमल कान्त मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2012

S.O. 62(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith ;

2. And whereas, clause (m) of Section 2 of the said Act defines the terrorist organisation to mean an organisation listed in the Schedule or an organisation operating under the same name as an organisation so listed;

95 GI/2012

3. And whereas, the Schedule to the said Act specifies the list of terrorist organisations;

4. And whereas the Garo National Liberation Army (GNLA), a militant outfit of Garo Hills, which came into existence in early 2010 has been consolidating its position in the three Garo Hills Districts both organisationally and in terms of weapons and cadres and to achieve the objective of a separate Garo State, the outfit is resorting to terrorism in the form of killing of innocent civilians and security forces in addition to engaging in other violent activities like physical assault on Government employees, lobbing grenades in Government buildings and other violent activities and extortions.

5. And whereas, the Central Government believes that the Garo National Liberation Army (GNLA) is involved in terrorism,

6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following to add the Garo National Liberation Army (GNLA) and all its formations and front organisations as terrorist organisation in the Schedule to the said Act and for the said purpose makes the following amendments, namely :—

In the Schedule to the said Act, after serial number 35 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

"36. Garo National Liberation Army (GNLA), all its formations and front organizations."

[F. No. 11011/124/2011-NE-V]

KAMAL KANT MITTAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.